



13 वुड स्ट्रीट,
कोलकाता - 700016 (पश्चिम बंगाल)
13, Wood Street,
Kolkata-700016 (West Bengal)
फोन/Fax : 033 - 22879038
दूरभाष/Telephone : 033 - 22875732/33/34
ई-मेल/e-mail : wbs.gdc.soi@gov.in

DST@



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
Survey of India
पश्चिम बंगाल व सिक्किम
भू-स्थानिक आंकड़ा केंद्र
W.B. & SIKKIM GEO-
SPATIAL DATA CENTRE
कोलकाता KOLKATA

कार्यालय आदेश सं. 10/37-G-20 दिनांक 13.03.2023

महामहोदय का कार्यालय का पत्र सं० व-506/1117-पेंशन नियम/अदालत दिनांक 01.02.2023 द्वारा प्राप्त भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 13 जनवरी, 2023 के कार्यालय ज्ञापन सं. A-38020/02/Misc./2018-PC के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय पत्र सं. D.No.1/39/2023-P&PW (E) दिनांक 05.01.2023 के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक **28 मार्च, 2023** को पेंशन अदालत का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम में किया जाना है। पेंशन अदालत का स्थल 13, वुड स्ट्रीट में स्थित इस कार्यालय के सभागार में होगा। इसमें इस कार्यालय में जुड़े पेंशन धारियों की शिकायतों के निवारण का प्रयास किया जायेगा।

पेंशन अदालत में निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित रहेंगे, जो पेंशन शिकायतों के त्वरित निष्पादन में सहयोग करेंगे।

1. श्री उदय शंकर प्रसाद, निदेशक, अध्यक्ष
2. मेजर अनुराग द्विवेदी, उप अधीक्षण सर्वेक्षक, सदस्य
3. श्री अरुण कुमार दास, अधीक्षण सर्वेक्षक (तदर्थ), सदस्य (उपस्थित DDO)
4. श्री स्वपन कुमार सरकार, सहायक, प्रभारी लेखा अनुभाग, सदस्य
5. श्री मनोज मंडल, सहायक, सदस्य

पेंशन धारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी शिकायतों/तकलीफों (Complaints/Grievances) को पेंशन अदालत में लाने से पूर्व कार्यालय में निम्नलिखित ई मेल id पर **20.03.2023** तक सूचित करें, ताकि सुनवाई से पहले उनके शिकायतों का अध्ययन किया जा सके।

wbs.gdc.soi@gov.in

उ श्री प्रसाद
13-03-23
(उदय शंकर प्रसाद)
निदेशक

पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी.सी., कोलकाता

प्रतिलिपि :-

1. भारत के महामहोदय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर महामहोदय, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता, आपसे अपने कार्यालय के एक अधिकारी को इस पेंशन अदालत में (online) भाग लेने के लिए नामित करने का अनुरोध किया जाता है।
3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रिय वेतन एवम् लेखा कार्यालय, कोलकाता। आपसे अनुरोध किया जाता है कि पेंशन अदालत में अपने कार्यालय से एक अधिकारी को नामित करें जिससे कि पेंशन शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जा सके।
4. वेबसाइट एडमिन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
5. अधीक्षण सर्वेक्षक/उप अधीक्षण सर्वेक्षक/डी.डी.ओ./प्रभारी विंग-I&II/तकनीकी/प्रभारी प्रशा/लेखा अनुभाग/कार्मिक अनुभाग/भण्डार अनुभाग।